उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 05 / 2018 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 / CT-71
देहरादून:: दिनांक:: 01 जनवरी, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और अधिसूचना सं. 1019/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रुप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर **सकते हैं**।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरे को **प्ररुप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत कर **सकते हैं**; अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 मास के लिए, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को तत्पचात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

......................अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

DT:/GST Notification/Outward Supply(29-12-2017)(TO 1.5cr)

सं0 05 / 2018 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 / CT-71 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Math

(बी0बी0मठपाल)

अपर सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 05 /2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-71 dated 01 January, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 05 /2018/9(120)/ XXVII(8)/2017/CT-71
Dehradun :: Dated:: 01 January, 2018

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) and in supersession of notification No. 1019/2017/9(120) /XXVII(8)/2017 dated 5th December, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who may follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	10th January, 2018
2	October - December, 2017	15th February, 2018
3	January - March, 2018	30th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

(Radha Raturi)
Principal Secretary

DT:/GST Notification/Outward Supply(29-12-2017)(TO 1.5cr)